

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

संख्या:—01/प्रा0आ0(विविध)—19/2023/.....³⁰⁰¹/आ0प्र0 पटना, दिनांक— 19-08-2025

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 20 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपदा प्रबंधन विभागीय अधिसूचना संख्या—15/2008/1597/आ०प्र० दिनांक—25.06.2008 के माध्यम से इस अधिनियम के तहत सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार एतद् द्वारा एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:—

- | | | | |
|-------|---------------------------------|---|----------------|
| (i) | मुख्य सचिव, बिहार | - | अध्यक्ष (पदेन) |
| (ii) | विकास आयुक्त, बिहार | - | सदस्य |
| (iii) | सचिव, वित्त विभाग, बिहार | - | सदस्य |
| (iv) | सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार | - | सदस्य |
| (v) | सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार | - | सदस्य |
- (समिति के संयोजक)

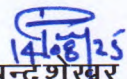
2. पुनः आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 10) की धारा 20 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा पूर्व से गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:—

- | | | | |
|-------|--|---|----------------|
| (i) | मुख्य सचिव, बिहार | - | अध्यक्ष (पदेन) |
| (ii) | विकास आयुक्त, बिहार | - | सदस्य |
| (iii) | पुलिस महानिदेशक, बिहार | - | सदस्य |
| (iv) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार | - | सदस्य |
| (v) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार | - | सदस्य |
| (vi) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार | - | सदस्य |
- (समिति के संयोजक)

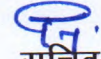
3. राज्य कार्यकारिणी समिति जब भी अपेक्षित हो, अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए किसी विशेष प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

4. राज्य कार्यकारिणी समिति अपने प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में राज्य प्राधिकरण के सचिव को आमंत्रित करेगी।

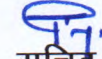
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(डॉ० चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

ज्ञापांक:-01 / प्रा0आ0(विविध)-19 / 2023 /3001..... / आ0प्र0 पटना, दिनांक- 19-08-2025
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/
पुलिस महानिदेशक/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार को
सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव

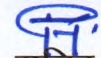
ज्ञापांक:-01 / प्रा0आ0(विविध)-19 / 2023 /3001..... / आ0प्र0 पटना, दिनांक- 19-08-2025
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक:-01 / प्रा0आ0(विविध)-19 / 2023 /3001..... / आ0प्र0 पटना, दिनांक- 19-08-2025
प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


सचिव

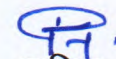
ज्ञापांक:-01 / प्रा0आ0(विविध)-19 / 2023 /3001..... / आ0प्र0 पटना, दिनांक- 19-08-2025
प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक:-01 / प्रा0आ0(विविध)-19 / 2023 /3001..... / आ0प्र0 पटना, दिनांक- 19-08-2025
प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक:-01 / प्रा0आ0(विविध)-19 / 2023 /3001..... / आ0प्र0 पटना, दिनांक- 19-08-2025
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को
राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना की प्रति एवं सी0डी0 के
साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अधिसूचना गजट की सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।


सचिव

ज्ञापांक:-01 / प्रा0आ0(विविध)-19 / 2023 /3001..... / आ0प्र0 पटना, दिनांक- 19-08-2025
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई
दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव